न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2024

1. पंकज पुत्र कानाराम
2. छगनलाल पुत्र कानाराम
   सर्व बालिग सर्व जाति आहीर (यादव) निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रमोद कुमार सराफ पुत्र श्री गुलाब चन्द सराफ जाति अग्रवाल निवासी 48, 49 राधाकृष्ण विहार द्वितीय बालाजी मन्दिर के पास, कुमकुम होटल के सामने किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. कमल अग्रवाल पुत्र श्री बंकटलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी एफ एन 201 विवेक विहार, शिवम रोड़, वार्ड नम्बर 16 किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 24.06.2025

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्र शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 481 रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि है जो मौके पर प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 481 में आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता नहीं हैं प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने के लिये केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के खसरा नम्बर 927/483 रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि है जो प्रार्थीगण ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 926/483 हाईवे एन०एच० 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 927/483 से होते हुये (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 481 पर आते–जाते है एवं इसी संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी दर्शित रास्ते से अपने मवैशियों को लाने–ले जाने एवं कृषि यंत्र, ट्रेक्टर लाने–ले जाने के लिये कदमी रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है, जो प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में लाल रंग से ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 481 में आने जाने एवं ट्रेक्टर ट्रोली, फसल, कृषि यंत्र एवं मवेशियों को लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 481 की भूमि है प्रार्थीगण ग्राम पाटन का खसरा नम्बर 926/483 हाईवे एन०एच० 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की

खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 927/483 से होते हुये (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित) का उपयोग उपभोग करते है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता प्राप्त करना अतिआवश्यक है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में जा सके अन्यथा प्रार्थीगण अपनी आराजी में मवेशी, ट्रेक्टर–ट्रोली, घास–पुस, कृषि यंत्र लाने–ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनिय क्षती होगी। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में जो प्रार्थीगण का चाहा गया सबसे निकटतम एवं उत्तम, सुलभ रास्ता ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 481 में आने जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु सबसे सरलतम, लघुतम, सनिकट एवं अतिआवश्यक एकमात्र रास्ता जो प्रार्थीगण ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 926/483 हाईवे एन०एच० 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 927/483 से होते हुये (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) उक्त खसरा नम्बर 926/483 में से 30 फीट रास्ते हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार अर्थात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डि०एल०सी० राशी प्रदत्त करने के लिये तैयार व तत्पर है, यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् के सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण की निजी आवश्यकता है अन्य कोई आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने को तत्पर है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थता प्रकट करते है तो प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 16.06.2024 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 481 में कृषि कार्य हेतु कदमी रास्ते, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 927/483 की भूमि है जो प्रार्थीगणं ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 926/483 हाईवे एन०एच० 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 927/483 से (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) होते हुये अपने खेत में बाह निकाले व रख–रखाव हेतु ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मना कर दिया एवं अवरोध उत्पन्न करने पर उतारू हो गये परन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अकृत्य को विफल कर दिया एवं प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा) की प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 927/481 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने से एवं अप्रार्थी संख्या 3 भू–धारी होने व माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु पक्षकार कायम किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 481 रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण को आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 926/483 हाईवे एन०एच० 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली) से, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 927/483 में सें (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) 30 फीट रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 02.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता श्री भवानी सिंह उपस्थित हुये दिनांक 26.11.2024 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दिनांक 27.09.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपार्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 481 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 927/483 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 481 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 927/483 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 927/483 कुल रकबा 0.4045 हैक्टैयर में से 0.0520 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम पाटन के खसरा संख्या 987/423 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 7430506 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0520 हैक्टेयर की निर्वापित दोगुना राशि 7,72,772 अक्षरे सात लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 04.12.2024 को अप्रार्थी की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा उपस्थित हुये। दिनांक 13.01.2025 को वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के तथ्यों को प्रार्थीगण अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करें। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण की ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के श्री लालचन्द तलरेजा पुत्र नामामल तलरेजा व श्री गोपीचन्द तलरेजा पुत्र मोहनलाल तलरेजा से क्रयशुदा कब्जा, काश्त, हक, हिस्सा, अधिकार, खातेदारी की कृषि भूमि है, उक्त भूमि पर किसी तरह का कोई आने जाने का रास्ता नही है, ना ही कभी रहा है, ना ही प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के लिए कभी रास्ता रहा है, ना ही वर्तमान में किसी तरह का कोई रास्ता है। प्रार्थीगण के द्वारा गलत रूप से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 की भूमि में से खसरा संख्या 481 की भूमि के आने जाने के लिए रास्ता होना बताया गया है तथा गलत रूप से प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा में लाल रंग से रास्ता दर्शित कर उक्त को कदमी रूप से रास्ता होना बताकर उक्त से आना जाना होना बताकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के अड़ता हुआ कदमी रास्ता मौके पर स्थित है जो एन. एच 8 जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है. उक्त रास्ता काफी वर्षों से मौके पर चला आ रहा है जिसकों गूगल मैप में देखने पर भी दर्शित होता है. उक्त गूगल मैप ज़वाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण द्वारा बताई गई कृषि भूमि खसरा संख्या 481 पर उक्त रास्ता से ही आता जाता रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त रास्ता के तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनतोष चाहा गया है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 481 की आराजी भूमि जवाबकर्तागण की भूमि नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा गलत रूप से खसरा संख्या 481 की भूमि को जवाबकर्तागण की बताई हुई है। खसरा संख्या 481 की भूमि जवाबकर्तागण की भूमि नही है, उक्त तथ्य प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से तथा उक्त के साथ पेश जमाबन्दी से प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है। ग्राम पाटन के खसरा संख्या 926/483 हाईवे एन. एच. 8 (अजमेर से जयपुर जाने वाली सड़क) से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 से होते हुए खसरा संख्या 481 की भूमि पर आने जाने हेतु कभी भी किसी तरह का कोई रास्ता नही रहा है, ना ही है, ना ही प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 927/483 की भूमि के किसी भी भू भाग का रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ गलत रूप से नक्शा पेश कर उक्त नक्शा में गलत रूप से लाल रंग से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 में रास्ता दर्शित किया गया है। जब जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 की भूमि में किसी तरह का कोई रास्त कभी भी नही रहा है, ना ही उक्त कृषि भूमि के किसी भी भाग का रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग किया है। उक्त खसरा से होते हुए कभी भी किसी तरह का कोई कदमी रास्ता नही रहा है, ना ही वर्तमान में किसी तरह का कोई कदमी रास्ता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा में गलत रूप से जवाबकर्ताग की भूमि खसरा संख्या 927/483 में लाल रंग से रास्ता दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 में रास्ता दर्शित कर उक्त को गलत रूप से सरलतम, लघुत्तम, निकटतम व अति आवश्यक रास्ता बताया गया है। खसरा संख्या 927/483 के खातेदारों को हैरान व परेशान करने उक्त की भूमि को कृषि भूमि योग्य नहीं रहने देने व खसरा संख्या 927/483 के खातेदारों को भारी नुकसान पहुंचाने की दुर्भावना आशय से खसरा संख्या 927/483 की भूमि में रास्ता दर्शित कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में कथित रूप से चाहे गये 30 फीट चौड़ा रास्ता के अनुतोष को स्वीकार कर लिये जाने पर जवाबकर्तागण की शेष रही कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु योग्य ही नहीं रहेगी, जवाबकर्तागण को कृषि भूमि पर किये जाने वाले कृषि कार्य से वंचित होना पड़ेगा जिसके कारण जवाबकर्तागण को भारी नुकसान होगा। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की कृषि भूमि को कृषि कार्य योग्य नहीं रहें, जवाबकर्तागण को भारी नुकसान पहुंचाकर जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 की भूमि में से रास्ता प्राप्त नही कर सकता है, ना ही विधयायिका की उक्त कानून बनाते समय उक्त प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाकर रास्ता दिलवाने की रही है। जवाबकर्तागण द्वारा चाहा गया अनुतोष ना तो विधि अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है, ना ही व्यवहारिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है, उक्त के बावजूद भी प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व से ही मौके पर स्थित कदमी रास्ता के तथ्यों को छिपाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के तथ्य उपरोक्तनुसार सही नही होने से अस्वीकार है। कोई काश्तकार अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए दूसरे काश्तकार की कृषि भूमि को कृषि योग्य नही रखकर, भूमिहीन कर भारी नुकसान पहुंचाकर रास्ता प्राप्त नहीं कर सकता है. ना ही विधियायिका की उक्त कानून बनाते समय उक्त प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाकर रास्ता दिलवाने की रही है। विधि अनुसार प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि को संरक्षित रखने का विधिक अधिकार है. उक्त के बाबत विधियायिका द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विधिक अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थीगण अपने निजी आवश्यकता के लिए दूसरे काश्तकार की कृषि भूमि, कृषि कार्य योग्य नहीं रहे, दूसरा काश्तकार भूमिहीन हो जावें, भारी नुकसान पहुंचाकर रास्ता प्राप्त नही कर सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के पास में ही अड़ता हुआ कदमी रास्ता मौके पर स्थित होकर एन.एच.8 से जुड़ा हुआ है जो काफी अर्से दराज से मौके पर स्थित है, उक्त रास्ता गूगल मेप देखने पर भी दर्शित होता है। उक्त रास्ता के गूगल मेप को जवाबकर्तागण द्वारा जवाब के साथ पेश किया गया है जो जवाब प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है, मौके पर उक्त रास्ता के रहते हुए प्रार्थीगण किसी तरह का कोई अनुतोष रास्ता बाबत् प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के द्वारा बताये गये विधिक प्रावधानों के तहत दूसरे काश्तकार की कृषि भूमि कृषि कार्य योग्य नही रहें, दूसरा काश्तकार भूमिहीन हो जावें तथा दूसरे काश्तकार को भारी नुकसान पहुंचाकर किसी को रास्ता दिलवाये जाने का विधिक मंशा नही है, ना ही विधियायिका की उक्त कानून बनाने की उक्त प्रकार की मंशा रही है। प्रार्थीगण के द्वारा जिस प्रकार से 30 फीट चौड़ा रास्ता जवाबकर्तागण की भूमि में से चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त अनुतोष उक्त प्रकार से स्वीकार कर लिये जाने पर जवानकर्तागण की कृषि भूमि कृषि कार्य योग्य ही नही रहेगी, जवानकर्तागण भूमिहीन हो जावेगा, जवाबकर्तागण को कृषि भूमि से वंचित होना पड़ेगा तथा जवाबकर्तागण को भारी नुकसान होगा, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा जवाबकर्तागण की भूमि में से चाहा गया अनुतोष ना तो विधिक रूप से दिये जाने योग्य है. नाही व्यवहारिक रूप से दिये जाने योग्य है। इस कारण प्रार्थीगण ना तो जवाबकर्तागण को डी.एल.सी. दर से राशि अदा कर जवाबकर्तागण की कृषि भूमि से रास्ता प्राप्त कर सकते है, ना ही डी.एल.सी. दर से राशि जमा करवाकर जवाबकर्तागण की कृषि भूमि से रास्ता प्राप्त कर सकते है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के विरुद्ध किसी तरह का कोई वादकारण कभी भी किसी भी दिनांक को उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही दिनांक 16.06.2024 को किसी तरह का कोई वादकारण जवाबकर्तागण के विरूद्ध उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा होता है. इस कारण जवाबकर्तागण के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होने एवं जारी रहने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण के द्वारा गलत रूप से गलत तथ्य अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में जवाबकर्तागण के विरूद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा जवाबकर्तागण के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नही होने के कारण प्रश्नगत प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 8 के तथ्यों के जवाब में निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा गलत रूप से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि बाबत् प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर रखे है, इस कारण रिकॉर्ड में अंकन नही हुआ है। अंतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के तथ्यों में प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होना स्वीकार है। पार्थीगण के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है. इस कारण प्रार्थीगण प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अधिकारी नहीं है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 में प्रार्थीगण के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एवं राही वास्तविक तथ्यों को छिपाकर जवाबकर्तागण की कृषि भूमि, कृषि कार्य योग्य नही रहे, जवाबकर्तागण भूमिहीन हो जावें, जवाबकर्तागण को भारी नुकसान पहुंचे इस दुर्भावना आशय से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है, इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नही है। जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 का रकबा 0.4045 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण के द्वारा जिस प्रकार से जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 की भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने बाबत् अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये उक्त प्रकार के अनुतोष को स्वीकार किये जाने पर जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 की कृषि भूमि, कृषि कार्य योग्य ही नही रहेगी, जवाबकर्तागण उक्त भूमि से भूमिहीन हो जायेगा, जवाबकर्तागण कृषि भूमि से वंचित होकर जवाबकर्तागण को भारी नुकसान होगा। जवाबकर्तागण की उक्त कृषि भूमि, कृषि कार्य योग्य ही नही रहें, जवाबकर्तागण भूमिहीन हो जायें, जवाबकर्तागण को भारी नुकसान पहुंचे। प्रार्थीगण जवाबकर्तागण को उक्त प्रकार से हानि पहुंचाकर जवानकर्तागण की कृषि भूमि में से रास्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष जवानकर्तागण को उक्त प्रकार से हानि पहुंचाकर चाहा गया अनुतोष होने के कारण प्राणद्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2024 को पेश किया गया था जिसमें अपार्थी संख्या 1 गोपीचन्द व अपार्थी संख्या 2 लालचन्द को संयोजित कर उक्त के विरुद्ध अनुतोष चाहा गया था। जयाबकर्तागण को प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.11.2024 को आदेश पारित कर संयोजित कर संशोधित शीर्षक पेश करने बाबत् आदेश पारित किया गया था जिसके तहत प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 04.12.2024 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर किसी तरह का अनुतोष जवाबकर्तागण के विरूद्ध नहीं चाहा गया है, इस कारण जवाबकर्तागण के विरूद्ध विधि अनुसार प्रार्थीगण किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जवाबकर्तागण के विरूद्ध खारिज होने योग्य है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में पटवारी द्वारा जारी नजरी नक्शा पेश है, उक्त नजरी नक्शा में प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 981 बताये गये है जबकि प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व नक्शा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि के खसरा संख्या 481 होना बताया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा पेश नक्शा में जिस भूमि के खसरा संख्या 481 होना बताया गया है जबकि पटवारी द्वारा पेश नजरी नक्शा में उक्त भूमि के खसरा संख्या 981 होना बताया गया है, इस प्रकार पटवारी द्वारा पेश नजरी नक्शा व प्रार्थीगण के द्वारा बताया गया नक्शा आपस में विरोधाभासी है जिनका किसी तरह का कोई मिलान नही होता है, उक्त विरोधाभासी तथ्यों के रहते हुए प्रार्थीगण प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 481 व 927/483 के दक्षिण दिशा में अड़ता हुआ कदमी रास्ता है, जो एन.एच.8 (जयपुर अजमेर जाने वाली सड़क) से जुड़ा हुआ है, उक्त रास्ता वर्षों से मौके पर स्थित है, उक्त से उक्त भूमि के आस पास के काश्तकार आते जाते आ रहे है. जिसको गूगल मेप में देखने पर भी दर्शित होता है, उक्त गूगल मेप जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जो जवाब प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग होकर परिशिष्ठ 1 है, उक्त गूगल मेप में एक्स स्थान पर कृषि भूमि खसरा संख्या 481 स्थित है तथा वाई स्थान पर कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 स्थित है। कृषि भूमि खसरा संख्या 481 व 927/483 के दक्षिण दिशा में दर्शित रास्ता को लाल स्याही से = ====== के रूप में एवं एन.एच.8 (जयपुर अजमेर जाने वाली सड़क) को हरे रंग से = = = के रूप में दर्शित है। जवाबकर्तागण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा में लाल रंग से=== = के रूप में दर्शित कदमी रास्ता काफी पुराना होकर अर्से दराज से मौके पर स्थित है, उक्त रास्ता कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के अड़ता हुआ रास्ता होने तथा उक्त रास्ता एन.एच.8 (जयपुर अजमेर जाने वाली सड़क) से जुड़ हुआ होने के कारण कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के काश्तकार उक्त रास्ता का ही अपनी भूमि पर आने जाने हेतु उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है, उक्त रास्ता लघुत्तम, सरलतम व निकटतम रास्ता है. उक्त रास्ता को संरक्षित करवाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में विधिक प्रावधान है। प्रार्थीगण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ही अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 927/483 में से किसी तरह का कोई नवीन रास्ता धारा 251 (क) के तहत प्राप्त नही कर सकते है, उक्त के बावजूद भी प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर रास्ता स्थित होने के तथ्यों को छिपाकर, गलत तथ्य अंकित कर, दुर्भावना आशय से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है, इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विशेष कथन के पेरा संख्या 4. में वर्णित रास्ता के रहते हुए

प्रार्थीगण दूसरे की भूमि में से किसी तरह का कोई नवीन रास्ता प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है, उक्त के बावजूद भी विकल्प के रूप में निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के अड़ती हुई उत्तर दिशा में खसरा संख्या 485 व 484 की भूमि स्थित है, उक्त के अड़ती हुई खसरा संख्या 928/484 रास्ता की भूमि होकर एन.एच. 8 (जयपुर अजमेर जाने वाली सड़क) की भूमि है उक्त भूमि में से प्रार्थीगण कृषि भूमि खसरा संख्या 481 के लिए रास्ता प्राप्त कर सकते है, जिसका नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश होकर परिशिष्ठ 2 है, जिसमें प्रस्तावित रास्ता लाल रंग से दर्शित किया हुआ है, उक्त प्रस्तावित रास्ता जवाबकर्तागण की कृषि भूमि के बजाय सबसे सरल, निकटतम, लघुत्तम व सुविधाजनक रास्ता है, उक्त भूमि में रास्ता दिये जाने पर जवाबकर्तागण के मुकाबले उक्त भूमि के खातेदारों को कम क्षति पहुंचेगी तथा कम असुविधा होगी। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त में से रास्ता नही चाहकर, जान बूझकर, दुर्भावना आशय से जवाबकर्तागण की भूमि में से रास्ता चाहे जाने के कारण प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए जवाबकर्तागण को विशेष हर्जा खर्चा प्रार्थीगण से दिलवाये जाने की कृपा करावें।

पत्रावली दिनांक 15.05.2025 को अपीलीय न्यायालय से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने से पुनः प्राप्त हुई। दिनांक 24.06.2025 तक भी बहस नहीं करने के कारण वकील अप्रार्थी की बहस का अवसर बन्द किया गया तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि प्रार्थीगण की ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 481 में आवागमन हेतु कोई मार्ग नहीं है जिसके लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 927/483 में से 0.0520 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर रास्ता दिया जा सकता है, प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार 7,72,772/– अक्षरे सात लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर रूपये होती है। अन्य कोई निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है, इस प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 481 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 927/483 में से रास्ता दिया जाना उचित है, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की भूमि ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 927/483 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 7430506/– रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार ख0नं0 927/483 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 7,72,772/– रू0 अक्षरे सात लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0520 हैक्टैयर भूमि की प्रतिभूति राशि 7,72,772/– रू0 अक्षरे सात लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 6401 दिनांक 25.09.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0520 हैक्टैयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़।